

जनपद वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु जनउपयोगी विभागीय योजनाओं का विवरण

1. योजना का नाम— दुर्घटना सहायता योजना
2. सम्बन्धित विभाग का नाम— श्रम विभाग, उ0प्र0
3. कार्यालयाध्यक्ष का पदनाम— श्रीमती वन्दना
4. कार्यालय का पता— कार्यालय सहायक श्रमायुक्त, सरकुलर रोड, मुजफ्फरनगर।
5. कार्यालय का दूरभाष— 0131-2620910
6. योजना के आरम्भ होने की तिथि— 4 फरवरी 2009
7. योजना की समाप्ति की तिथि— -
8. योजना का प्रकार—केन्द्रीय/राज्य/जिला/अन्य— राज्य
9. योजना का संक्षिप्त विवरण— पंजीकृत श्रमिक की मृत्यु अथवा स्थाई पूर्ण/अंशिक अपंगता/विकलांगता के फलस्वरूप दुर्घटना ग्रस्त श्रमिक की तत्कालिक सहायता हेतु अनुग्रह राशि प्रदान किया जाना।
10. योजना के लिये निर्धारित अर्हता— **दुर्घटना की स्थिति में 03 माह तथा मृत्यु की स्थिति में एक माह के अन्दर आवेदन पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।**
 1. पुलिस थाना में दर्ज प्राथमिकी।
 2. मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत विकलांगता, प्राथमिक उपचार के फलस्वरूप चिकित्सक का प्रमाण पत्र।
 3. मृत्यु की दशा में पोस्ट मार्टम रिपोर्ट।
 4. पंजीयन प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
11. योजना किस वर्ग विशेष के लिये है—**अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक/विकलांग/सामान्य जाति/सीमामान्त किसान/बी0पी0एल0/ए0पी0एल0**
12. योजना का आवेदन करने की प्रक्रिया— क्रमांक 10 के अनुसार निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र।
13. आवेदन पत्र/फार्म प्राप्त करने का स्थान— कार्यालय सहायक श्रमायुक्त, सरकुलर रोड, मुजफ्फरनगर
14. आवेदन पत्र/फार्म का शुल्क— निःशुल्क
15. आवेदन पत्र/फार्म के साथ आवश्यक संलग्नको का विवरण— क्रमांक 10 के अनुसार निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र।
16. यदि आवेदन ऑनलाईन है तो वेबसाईट का एड्रेस— प्रभावी नहीं हैं।
17. योजना के सम्बन्ध में दूरभाष पर जानकारी देने वाले कार्यालय के सम्पर्क सूत्र का पदनाम— सहायक लेखाकार, मोबाईल नम्बर—0131-2620910
18. योजना के सम्बन्ध में जानकारी/शिकायत करने के सम्बन्ध में विभाग का दूरभाष/टोल फ्री नम्बर/ई-मेल— 0131-2620910
19. विभाग की वेबसाईट का एड्रेस— www.uplabour.nic.in

(वन्दना)
सहायक श्रमायुक्त
मुजफ्फरनगर।

जनपद वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु जनउपयोगी विभागीय योजनाओं का विवरण

1. योजना का नाम— गंभीर बीमारी सहायता योजना।
2. सम्बन्धित विभाग का नाम— श्रम विभाग, उ0प्र0
3. कार्यालयाध्यक्ष का पदनाम— श्रीमती वन्दना
4. कार्यालय का पता— कार्यालय सहायक श्रमायुक्त, सरकुलर रोड, मुजफ्फरनगर
5. कार्यालय का दूरभाष— 0131-2620910
6. योजना के आरम्भ होने की तिथि— 4 फरवरी 2009
7. योजना की समाप्ति की तिथि—
8. योजना का प्रकार—केन्द्रीय/राज्य/जिला/अन्य— राज्य
9. योजना का संक्षिप्त विवरण—1— पंजीकृत निर्माण श्रमिक अथवा उसकी पत्नी अथवा उस पर आश्रित अविवाहित पुत्री 21 वर्ष से कम आयु के पुत्र को गंभीर बीमारी की दशा में उ0प्र0 सरकार के स्वायत्तशासी चिकित्सालय में कराये गये इलाज के उपरान्त किये गये व्यय की शत प्रतिशत प्रतिपूर्ति।
10. योजना के लिये निर्धारित अर्हता— 1—श्रमिक बोर्ड का पंजीकृत लाभार्थी हो। परिचय पत्र की छायाप्रति।
2— बैंक पासबुक एवं परिचय पत्र की छायाप्रति। 3—किसी गंभीर बीमारी के इलाज के फलस्वरूप उपचार करने वाले चिकित्सक/अस्पताल द्वारा प्रारूप-2 पर दिया गया हो। 4—दवाईयों के क्य पर हुये व्यय के मूल बिल/बाउचर जोकि उस चिकित्सक/अस्पताल द्वारा प्रमाणित किये गये हों, जिनके द्वारा उपचार किया गया हो। 5— उपरोक्त प्रारूप-2 को रू0 पचास हजार तक की सीमा तक प्रतिपूर्ति के आवेदन का प्रतिहस्ताक्षरण जिले के मुख्य चिकित्साधीक्षक द्वारा कराया गया मान्य होगा तथा इससे अधिक की धनराशि के लिये प्रतिहस्ताक्षरण चिकित्सा परिषद द्वारा किया गया मान्य होगा।
11. योजना किस वर्ग विशेष के लिये है—अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछडा वर्ग/अल्पसंख्यक/विकलांग/
सामान्य जाति/सीमामान्त किसान/बी0पी0एल0/ए0पी0एल0
12. योजना का आवेदन करने की प्रक्रिया— क्रमांक 10 के अनुसार निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र।
13. आवेदन पत्र/फार्म प्राप्त करने का स्थान— कार्यालय सहायक श्रमायुक्त, सरकुलर रोड, मुजफ्फरनगर
14. आवेदन पत्र/फार्म का शुल्क— निःशुल्क
15. आवेदन पत्र/फार्म के साथ आवश्यक संलग्नको का विवरण— क्रमांक 10 के अनुसार निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र।
16. यदि आवेदन ऑनलाईन है तो वेबसाईट का एड्रेस— प्रभावी नहीं हैं।
17. योजना के सम्बन्ध में दूरभाष पर जानकारी देने वाले कार्यालय के सम्पर्क सूत्र का पदनाम— सहायक लेखाकार, मोबाईल नम्बर—0131-2620910
18. योजना के सम्बन्ध में जानकारी/शिकायत करने के सम्बन्ध में विभाग का दूरभाष/टोल फ्री नम्बर/ई-मेल— 0131-2620910
19. विभाग की वेबसाईट का एड्रेस— www.uplabour.nic.in

(वन्दना)
सहायक श्रमायुक्त
मुजफ्फरनगर।